न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री हरिमोहन मीना, आई0ए0एस0

मि0न0 06 /अपील (आर0टी0आई) / 2021

अब्दुल रहीम खान आ0 अब्दुल शकुर
नि0 नला मौहल्ला झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0) (अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, झालावाड (अप्रार्थी)

जिला कलक्टर झालावाड़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::– दिनांकः 09.12.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी झालावाड से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा सूचना न देकर सूचना को छुपाया जा रहा है प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.09.2021 को सूचना के अधिकार के तहत उपखण्ड कार्यालय झालावाड़ के प्रकरण अब्दुल रहीम बनाम राज0सरकार नगरपालिका झालावाड क्र नं0 204–06 भूमि रूपान्तरण / निर्णय दिनांक 14.03.2002 उपखण्ड कार्यालय झालावाड की छायाप्रति एवं परिपत्र क्रमांक प.5 (8) न0वि0वि0 / 399 दिनांक 26.05.2000 की छायाप्रति चाही गई थी लेकिन प्रार्थी को न तो नकल उपलब्ध कराई गई न ही प्रत्युत्तर दिया गया। वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर सुनवाई हेतु दिनांकः 08.12.2021 नियत कर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपीलार्थी उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा उपस्थित हो जवाब पेश किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो जवाब पेश किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पर प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्र0राजस्व / 2021 / 1982 दिनांक 11.10.2021 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में भूमि के खसरा नं0 व खातेदार का उल्लेख नहीं होने से सूचना से संबधित रेकार्ड तलाश करने पर उपलब्ध नहीं हो रहा है,चाही गई सूचना से संबंधित सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिये सूचित किया गया था। अपीलार्थी दौराने सुनवाई न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हुए हैं। लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ का प्रत्ति उत्तर की प्रस्तुत आवेदन पत्र में भूमि के खसरा नम्बर व खातेदार का उल्लेख नही होने से संबंधित रेकार्ड तलाश करने पर उपलब्ध नही हो रहा है सही प्रतीत नही होता है क्यों कि प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्रकरण का उनवान "अब्दुल रहीम बनाम राज0सरकार नगरपालिका झालावाड़ क्र नं0 204–06 भूमि रूपान्तरण / निर्णय दिनांक 14.03.2002 उपखण्ड कार्यालय झालावाड़" स्पष्ट अंकन किया गया है और प्रकरण संख्या व उनवान अंकन होने पर खातेदार का या खसरा नम्बरान का अंकन हमारी राय में आवश्यक नही है । अतः लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी झालावाड को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना उनवान "अब्दुल रहीम बनाम राज0सरकार नगरपालिका झालावाड क्र नं0 204–06 भूमि रूपान्तरण / निर्णय दिनांक 14.03.2002 उपखण्ड कार्यालय झालावाड अन्दर 10 योम अपीलान्ट को उपलब्ध करावें और यदि परिपत्र क्रमांक प.5 (8) न0वि0वि0 / 399 दिनांक 26.05.2000 पत्रावली पर उपलब्ध हो तो वो भी उपलब्ध कराते हुए प्रति प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार(अति जिला कलक्टर) को भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 09.12.2021 को खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित कर सुनाया ।

TRUE COPY

(हरिमोहन मीना)
प्रथम अपील अधिकारी–
जिला कलक्टर झालावाड

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़

रीडर
न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़

क्रमांकः 192-94 / रीडर / 21
दिनाक

प्रतिलिपीः–

01. प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्ट्रेट,झालावाड
02. लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी झालावाड
03. अब्दुल रहीम खान आ0 अब्दुल शकूर नि0 नला मौहल्ला, झालावाड

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर झालावाड